UPME010082362026

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी एक्ट मेरठ।</u>
उपस्थितः- अमित वीर सिंह (H.J.S.)
J.O. Code No.-UP6240
प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०-2755/2026

अकरम पुत्र असलम, निवासी ग्राम काशी, थाना परतापुर, जिला मेरठ।

...........प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.......अभियोजन।

मु०अ०सं० 170/2026
धारा-351(3),352,75(1) (i),74,109(1),115(2),
131,126(2),191(3),191(2) बी.एन.एस.
व 3(2)5 ए अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवाराण) अधिनियम, 1989
थाना- परतापुर, जिला मेरठ।

उपस्थितः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता- श्री छोटेलाल
राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक- श्री मोहित गुप्ता

<u>दिनांक- 29.04.2026</u>

1. प्रार्थी/अभियुक्त अकरम पुत्र असलम का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 2755/2026, मु०अ०सं० 170/2026 धारा- 351(3),352,75(1)(i),74,109(1), 115(2),131,126(2),191(3),191(2) बी.एन.एस.व 3(2)5 ए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवाराण) अधिनियम, 1989 थाना- परतापुर, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्यतः आधार यह लिया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी । अभियुक्त का कोई भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में या अन्य किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है। पुलिस थाना परतापुर, मेरठ प्रार्थी / अभियुक्त के घर पर लगातार दबिश दे रही है तथा प्रार्थी / अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजने को आमादा है।यह कि प्रस्तुत मुकदमे की कथित

घटना दिनांक-24.03.2026 को 18.30 बजे की बतायी गयी है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित घटना के अगले दिन दिनांक-25.03.2026 को 02.50 बजे पंजीकृत हुई है। प्रस्तुत मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुए दो माह से अधिक का समय हो चुका है। विवेचक द्वारा अभियोग पक्ष का समस्त साक्ष्य जुटाया जा चुका है, केवल अभियुक्तगण की गिरफ्तारी शेष है। इस प्रकार दौरान विवेचना साक्षीगण को प्रताड़ित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे भी सभी साक्षीगण एक ही परिवार के हैं। गवाहों को प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा डराने धमकाने का प्रश्न ही नहीं उठता। धारा-3 (2) VA एस.सी. / एस.टी एक्ट में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्राविधान है तथा बी०एन०एस० की धारा-351(3) में अधिकतम 07 वर्ष की सजा तथा धारा-352 में अधिकतम 02 वर्ष की सजा तथा धारा-109 (1) में अधिकतम आजीवन कारावास का तथा धारा-115 (2) में अधिकतम 01 वर्ष की सजा तथा धारा-126 (2) में अधिकतम 01 वर्ष की सजा तथा धारा-191(3) में अधिकतम 05 वर्ष की सजा तथा धारा-191 (2) में अधिकतम 02 वर्ष की सजा का प्राविधान है। प्रार्थी / अभियुक्त तथा प्रार्थी / अभियुक्त का पिता इस बात का अन्डर टैकिंग देने के लिये तैयार है कि प्रार्थी । अभियुक्त कभी भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ नहीं रहेगा। प्रार्थी / अभियुक्त का नाम उक्त मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। प्रस्तुत मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार तीन घटनायें घटित हुई हैं। पहली घटना का घटनास्थल नहीं दिखाया गया है।अभियोगी ने विस्तृत रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी है, लेकिन अभियोगी ने अपने उस पोते का नाम भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं लिखाया है, जो अपने दोस्तों के साथ हर रोज की भाँति फिजिकल रनिंग कर रहा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियोगी सन्तराम जो कि एक 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है, उसने लगभग 28 लोगों को उनके पिता के नाम सहित प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम दर्ज कराया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोगी सन्तराम को कोई चोट किसी तरह की नहीं है। अभियोगी सन्तराम ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उन व्यक्तियों के नाम पते नहीं बताये हैं, जिन व्यक्तियों के सामने अभियुक्तगण ने धारा 3(2) (V) a SC/ST Act का घृणित अपराध किया है। अभियोगी का पोता जिसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, अपने जिन दोस्तों नितिन पुत्र विनोद तथा अर्जुन पुत्र मुनेश के साथ फिजिकल रनिंग कर रहा था उनमें से किसी को भी कोई चोट नहीं है। प्रस्तुत मुकदमे की कथित घटना जो कि अभियोगी सन्तराम के पोते के साथ होनी बतायी गयी है, अभियोगी सन्तराम उसका साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोगी का पोता नितिन पुत्र विनोद व अर्जुन पुत्र मुनेश के साथ हासिम पुत्र नामालूम व 6-7 अज्ञात लड़कों से झगड़ा हो गया था, जिसकी सूचना बच्चों ने घर पर आकर दी। अभियोगी तथा अभियोगी के पुत्र सुनील जाटव व कपिल जाटव उक्त लोगों से बात करने व सुलह करने के लिये उनके घर जा रहे थे। यह कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही पूरी तरह से झूठा है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उन लोगों के नाम पते ही नहीं दिये गये हैं, जिनकेघर अभियोगी व अभियोगी के पुत्र सुनील जाटव व कपिल जाटव समझौता

करने के लिये जा रहे थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोगी के पोते के साथ जिन 6-7 अज्ञात व्यक्तियों ने झगड़ा किया तो उन व्यक्तियों की कथित घटना उसी समय समाप्त हो गयी। उसके बाद अभियोगी अपने पुत्रों व अन्य साथियों के साथ इकट्ठे होकर अभियुक्तगण के घर जा रहे हैं, से स्पष्ट है कि परिवादी । अभियोगी अपने अन्य साथियों को लेकर खुद झगड़ा करने जा रहे हैं। अभियोग पक्ष ने मुकदमे को रंगत देने के लिये मोनिका पत्नी सुनील व शारदा पत्नी सन्तराम को भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़ित पक्ष बना लिया। मोनिका पत्नी सुनील, शारदा पत्नी सन्तराम (अभियोगी) को कोई चोट किसी भी प्रकार की नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उक्त मोनिका पत्नी सुनील व शारदा पत्नी सन्तराम को भी किसी भी अभियुक्त द्वारा जाति सूचक शब्द नहीं कहा गया है। अभियोग पक्ष ने उक्त मुकदमे को रंगत देने के लिये महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास की भी झूठी घटना बढ़ा दी है। प्रार्थी । अभियुक्त का नाम प्रस्तुत मुकदमे के सहअभियुक्त द्वारा लेना बताया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। यदि किसी भी सहअभियुक्त ने उक्त मुकदमे की कथित घटना में शामिल होने वालों में प्रार्थी । अभियुक्त का नाम बताया है, तो वह प्रार्थी / अभियुक्त के विरुद्ध नहीं पढ़ा जायेगा।यह कि प्रार्थी / अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी / अभियुक्त के फरार होने का कोई अन्देशा नहीं है। उक्त मुकमदे में सहअभियुक्तगण (1) शादाब पुत्र इदरीश (2) नौशाद उर्फ भूरा पुत्र इदरीश (3) जुनैद पुत्र अली अहमद, निवासीगण ग्राम कांशी, थाना परतापुर, जिला मेरठ की जमानत का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय से दिनांक-10.04.2026 को निरस्त किया जा चुका है। अन्य अभियुक्तगण के बारे में प्रार्थी / अभियुक्त को कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थी । अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-482 बी0एन0एस0एस0 / 438 सीआर0पी0सी0 के प्रावधान से बाधित नहीं है। प्रार्थी / अभियुक्त इस बात का अन्डर टेकिंग देने के लिये तैयार है कि प्रस्तुत मुकदमे के विवेचक अथवा कोई भी न्यायालय प्रार्थी / अभियुक्त को जब भी जहाँ बुलायेगा प्रार्थी । अभियुक्त स्वयं अपने खर्चे पर वहाँ उपस्थित हो जायेगा। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी अभियुक्त को उक्त मुकदमे में अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा सन्तराम पुत्र छोटन जाटव निवासी ग्राम- काशी थाना परतापुर जनपद मेरठ करीब 70 वर्ष एक मजदूरी पैसा करने वाला परिवार है। जो अनुसूचित जाति-जाटव परिवार से है। प्रार्थी का पोता अपने दोस्तो के साथ नितिन -पुत्र विनोद व अर्जुन पुत्र मुनोश के साथ हर रोज की भाति फिजिकल/रिंनिग समय करिब शाम 6:30 बजे कर रहे थे। तभी वहा हासिम पुत्र नामालू व 6-7 अज्ञात लड़को से झगडा हो गया था जिसकी सूचना बचों ने घर पर आकार प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्र सुनिल जाटव व कपिल जाटव व विक्की पुत्र बेदो उक्त लोगो के घर वालो से बात करने और सुलह करनो को उक्त लोगों के घर जा रहे थे। तभी रास्ते में एक मसवरा राय करके लाठी डन्डो और धारा धार-हथियार से लैस हारून मलिक पुत्र

नामालुक इशरार पुत्र नामालुक बालो पुत्र नामालुक शाकिर पुत्र जाबो भुरा पुत्र इदरिश व भूरे के दोनो भाई इदरिश पुत्र नामालुक हारून पुत्र नामालुक उवेश पुत्र खलिफा पुत्र प्रवेज शहजाद पुत्र इलियास फुरकान पुत्र खलिफा इमरान पुत्र खलिफा मुजामिर मास्टर पुत्र नामालूम नमन पुत्र सप्पो हसन पुत्र सप्पो मल्लू चाय वाले के दोनो लडके सुक्के नम्बर दार पुत्र नामालुक रजिमुल्ला पुत्र नामालुक दनिश पुत्र नामालुक जुनेद पुत्रअलि हमद हारून पुत्र शाकिर शाकिर पुत्र जावेद शादाब पुत्र इदरिश शलीम पुत्र न फैज आलम पुत्र सकुर कैफे बाले फैजान पुत्र नामालुक अन्य करिब 100-150 लोग अज्ञात लोगों ने हमे आता देख रोक लिया और हमे जाति सुचक शब्द चमार चटा कहते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये। जान से मारने कि नियत से हमला व पथराव कर दिया जिसमे प्रार्थी के पुत्र कपिल व सुनिल को भीड ने बिच में घेर लिया और धारा धार हथियार से हमला कर दिया जो गम्भीर चोटो में कारण बेहोस होकर सड़क पर गिर गये प्रार्थी के दोनों पुत्रो को मरा समझ कर छोड दिया जिसकी सुचना ग्राम वासियो द्वारा घर पर मोनिका पत्नी सुनिल व शारदा पत्नी सन्तराम को लगी तो वह रोती बिलखती उक्त स्थान पर पहुंची तो उक्त व्यक्तियों ने उन दोनों के साथ गाली गलोच मारपीट करते हुए उन को पास के ही घर में खिचने का प्रयास किया और कोई अज्ञात लोगों ने गुप्तागों से छेडछाड करते हुए दुश क्रम का प्रयास किया। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहती है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को प्रथम अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने जो अपराध कारित किया है वह गम्भीर प्रकृति का है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी। धारा 18 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवाराण) अधिनियम, 1989 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवाराण) अधिनियम, 1989 से सम्बन्धित अपराधों में अग्रिम जमानत पोषणीय नही है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. इस न्यायालय द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा -351(3),352,75(1)(i),74,109(1),115(2),131,126(2),191(3),191(2) बी.एन.एस. व 3(2)5 ए अनुसूचित जाति

और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवाराण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत थाना खरखौदा, जिला मेरठ में पंजीकृत हुई थी। धारा 18 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवाराण) अधिनियम, 1989 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवाराण) अधिनियम, 1989 से सम्बन्धित अपराधों में अग्रिम जमानत पोषणीय नही है। तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अकरम पुत्र असलम की ओर से मु०अ०सं० 288/2025, अर्न्तगत धारा -351(3),352,75(1)(i),74,109(1),115(2),131,126(2),191(3),191(2) बी.एन.एस. व 3(2)5 ए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवाराण) अधिनियम, 1989 थाना खरखौदा, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाक 29.05.2026

(अमित वीर सिंह)
विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 6240

This is uncertified copy for information/reference.

For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.05.29 05:26:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court